



दिल्ली विकास प्राधिकरण  
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा  
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म  
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”  
“OPEN HOUSE MEETS”

OFFICE OF THE DIR (Pig.)  
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2  
Dy.No. 3185  
Dated 16/5/12

38

Zone-A

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए  
Form to be filled by Participant

नाम Name	Om Prakash Jain
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग/फेडरेशन/संघ (एसोसिएशन)/आर डब्लू ए/व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Delhi Grain Merchant Assn (Repd) Naya Bazar, Delhi-6
वर्तमान स्थिति Present Position	President
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	011 - 23908742 011 - 27343435 93130 - 35330
फैक्स : Fax :	-
ई-मेल E-mail	-
पता : Address :	524A, Lahori Gate Delhi-6
हस्ताक्षर : Signature :	ओमकार सिंह
तिथि : Date :	15-5-12

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

**ओम प्रकाश जैन** (चावल वाले)  
(समाज रत्न)

चेयरमैन, दिल्ली व्यापार महासंघ (पंजी०)

मोबाईल : 9313035330



संरक्षक : कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स  
अध्यक्ष : क्रेडिटर वेलफेयर एसोसियेशन (पंजी०)  
वाईस चेयरमैन : फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ दिल्ली  
अध्यक्ष : दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (पंजी०)

कार्यालय :

524-A, लाहोरी गेट दिल्ली - 110006, दूरभाष : 23914743, 23908742

निवास :

TU 56, पीतमपुरा, दिल्ली दूरभाष : 27343435, 27343436

श्री पार्थी धर जी  
निदेशक (योजना)  
दिल्ली विकास प्राधिकरण जोन (ए एवं बी)  
चौथा तल, विकास मीनार  
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली

विषय : दिल्ली मुख्य योजना-2021 हेतु सुझाव ।

महोदय,

सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021 की समीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन और पुनः अवलोकन हेतु जनता की भागीदारी को शामिल करते हुए सुझाव आमंत्रित किये हैं। इस सन्दर्भ में हमारे निम्न सुझावों को शामिल करने का कष्ट करें।

- (1) चार दीवारी क्षेत्र अब व्यापारिक क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ अधिक होने के कारण पार्किंग एक विकराल समस्या बन गई है। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रतिकूल असर राजस्व पर भी पड़ता है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यकता के अनुरूप बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण होना चाहिए।
- (2) कन्वर्जन चार्ज समाप्त होना चाहिये। यह चार्ज उनसे लिया जाता है जिन्होंने नया व्यवसाय प्रारम्भ किया है। यहाँ पर अधिकतर लोग पुराने बसें हुए हैं।
- (3) जब तक चार दीवारी क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग सुविधा की व्यवस्था न हो तब तक व्यापारी एवं ग्राहकों को अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।
- (4) दिल्ली में अनाज व किराना की थोक मण्डियाँ नया बाजार, सई मण्डी, मेद गंज, व खारी बावली हैं। ये मण्डियाँ उस समय स्थापित की गई थी जब दिल्ली की आबादी मात्र 4/5 लाख थी। आज की आबादी के अनुरूप इन मण्डियों में पर्याप्त स्थल नहीं है। अतः अगले बीस सालों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए थोक अनाज व किराना व्यापार के लिए इन मण्डियों को शहर / चार दीवारी से बाहर स्थानान्तरित किया जाना चाहिये।

कमशः पेज-2

गर्व से कहो हम व्यापारी हैं।

238

श्रीमान्

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

**ओम प्रकाश जैन** (चावल वाले)  
(समाज रत्न)

चेयरमैन, दिल्ली व्यापार महासंघ (पंजी0)  
मोबाईल : 9313035330



संरक्षक : कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स  
अध्यक्ष : क्रेडिटर वेलफेयर एसोसियेशन (पंजी0)  
वाईस चेयरमैन : फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ दिल्ली  
अध्यक्ष : दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (पंजी0)

कार्यालय :

524-A, लाहोरी गेट दिल्ली - 110006, दूरभाष : 23914743, 23908742

निवास :

TU 56, पीतमपुरा, दिल्ली दूरभाष : 273473435, 27343436

::2::

- (5) यहाँ हो चुके अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया जाना चाहिये तथा आगे अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। यहाँ के व्यापार को वर्तमान स्तर तक पहुँचने में 50 वर्ष लगे हैं। यह निर्माण एक रात में नहीं हुए हैं और इसके लिए व्यापारी के साथ साथ डीडी.ए/एम.सी.डी /दिल्ली सरकार तीनों निकाय जिम्मेदार हैं। इसलिए सजा एक पक्ष को नहीं मिलनी चाहिए। अतः जो निर्माण हो चुका है उसे नुकसान पहुँचाये बिना नियमित कर देना चाहिए। यदि बहुत अधिक आवश्यक हो तो कम से कम नुकसान हो।

धन्यवाद,

भवदीय

*ओम प्रकाश जैन*

( ओम प्रकाश जैन चावल वाले )